न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल मोती महल ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

254

निगरानी-3820/2018/रीवा/भू.रा

रविनन्दन तिवारी तनय स्व. गंगा प्रसाद तिवारी निवासी ग्राम लोही, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) .....आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1. दिलीप कुमार तिवारी तनय स्व. श्री त्रिवेणी प्रसाद तिवारी
2. गायत्री देवी तिवारी पत्नी स्व. चन्द्रशेखर प्रसाद उम्र 64 वर्ष
3. अरूण तिवारी तनय स्व. चन्द्रशेखर तिवारी उम्र 42 वर्ष,
4. अनिल तिवारी तनय स्व. चन्द्रशेखर तिवारी उम्र 45 वर्ष
5. विद्या तिवारी पत्नी स्व. चन्द्रमौल तिवारी उम्र 60 वर्ष
6. संदीप तिवारी तनय स्व. चन्द्रमौल तिवारी उम्र 35 वर्ष
7. मनोज तिवारी तनय स्व. चन्द्रमौल तिवारी उम्र 38 वर्ष
8. चन्द्रमणि तिवारी तनय स्व गंगा प्रसाद तिवारी उम्र 62 वर्ष
9. पार्वती तिवारी पत्नी श्री रघुनंदन तिवारी उम्र 50 वर्ष
10. विनय तिवारी तनय रघुनंदन तिवारी उम्र 36 वर्ष
11. विक्रम तिवारी तनय रघुनंदन तिवारी उम्र 33 वर्ष
12. राहुल तिवारी तनय रघुनंदन तिवारी उम्र 30 वर्ष

सभी निवसी ग्राम लोही, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

13. कीर्ति मिश्रा पत्नी श्री राममिलन मिश्रा उम्र 55 वर्ष, निवासी छत्रपति नगर गुड्डू सिंह डेयरी के पास जिला रीवा (म0प्र0)

.....अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्ताण

निगरानी विरूद्ध आदेश तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) प्रकरण कमांक 68/अ-27/2014-15 दिनाक 05/06/2018

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है-

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा आराजी कमांक 348, 350, 492, 499, 500, 501, 502, 503, 629, 648, 1010, 1011 किता 12 योग रकवा 3.815 हे. के बंटनवार/नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय का सम्मंस प्राप्त होने पर उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया।

दौरान अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही आवेदित आराजियातों से संबंधित स्वत्व घोषणा एवं बंटनवारा हेतु व्यवहार वाद तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 रीवा श्री वरूण चौहान की न्यायालय में अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत किया, किन्तु वरूण चौहान के त्याग पत्र पश्चात प्रकरण अंतरण में चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1 रीवा श्री संतोष बघेल की न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें निगरानीकर्ता सहित अन्य प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें दिनांक 22/06/2018 पेशी दिनांक वाद प्रस्तुत हेतु नियत है।

अधीनस्थ न्यायालय जिन आराजियातों के संबंध में बंटनवारा/नामांतरण हेतु प्रकरण अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत किया गया है उन्हीं आराजियातों के स्वत्व/बंटनवारा का प्रकरण व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन होने को लेकर अनावेदक कमांक 1 द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवेदित आराजियातों के स्वत्व को लेकर जब प्रकरण व्यवहार न्यायालय में विचाराधीन है तब संहिता की धारा 178 के तहत श्रीमान को मौजूदा प्रकरण की कार्यवाही व्यवहार न्यायालय के निराकरण तक के लिए

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3820/2018/रीवा/भू.रा. रविनन्दन विरूद्ध दिलीप आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-02-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील हुजूर के प्रकरण क्रमांक 68/अ-27/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 05-06-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 15-04-2019 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 18/2/2019 सदस्य	